अच्छी गुणवत्ता वाले औषधीय पौधों को प्राप्त करने के लिए नई नर्सरी / नई पौधशालाओं की स्थापना ।

छोटी नर्सरी / छोटी पौधशालाएं ।

किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले औषधीय पौधों की सामग्री की प्राप्ति करने के लिए नई मॉडल नर्सरी / पौधशालाओं को बनाने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
छोटी नर्सरी, औषधीय पौधों की खेती करने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले 50,000 - 70,000 औषधीय पौधों का उत्पादन और पौधों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगी। औषधीय पौधों की छोटी नर्सरी को चलाने के लिए संगठन के पास सतत् योजनाएं होनी चाहिए।

छोटी नर्सरी को बनाने के लिए जरूरी संरचनाएं (Infrastructure):

- **ग्रीनहाउस / पॉलीहाउस:** पौधों को ज्यादा गर्मी, ठंड, या बारिश से बचाने के लिए ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस होना चाहिए।
- **शेडनेट / नेट हाउस** : पौधों को नियंत्रित वातावरण, सुरक्षा और स्वस्थ विकास प्रदान करने के लिए नेट हाउस आवश्यक है।
- **नर्सरी बेड**: उठे हुए बेड (Raised Beds) , प्लास्टिक शीट्स।
- **पानी की व्यवस्था के लिए**: ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम्स ,पानी की टंकी या बोरवेल होना चाहिए ।
- **खाद बनाने की जगह(कंपोस्टिंगयूनिट)**: जैविक खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग यूनिट होनी चाहिए।
- **सामान रखने की जगह (स्टोरेज यूनिट)**: खाद, बीज, उपकरण और अन्य सामग्री स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए।
- पॉलीबैग और गमले रखने की जगह ।
- पौधों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए उपकरण।
- नर्सरी के अंदर पौधों की देखभाल करने के लिए और परिवहन के लिए रास्ता होना चाहिए।
- खाद और कीटनाशक (ऑर्गेनिक और केमिकल) दोनों प्रकार के होनी चाहिए।

GREEN HOUSE

NET HOUSE

NURSERY BEDS

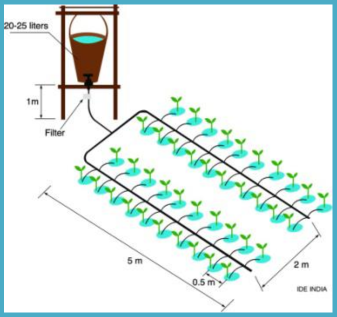

उपकरण: कुदाल, फावड़ा, कैंची, पाइप, स्प्रेयर , तसला, प्लांटिंग ट्रे , हैंड ट्रॉवल ,प्लास्टिक टब, ट्रॉली, स्प्रेयर, पाइप ,सौर विकिरण (सौर स्टेराइलाइज़ेशन) आदि।

छोटी नर्सरी बनाने के लिए न्यूनतम भूमि : छोटी नर्सरी को बनाने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होनी जरूरी है।

वित्तीय सहायता - छोटी नर्सरी बनाने के लिए

- सरकारी क्षेत्र को 6.25 लाख रुपए दिए जाएंगे
- निजी क्षेत्रको 3.125 लाख रुपए क्षेत्र को दिए जाएंगे।

क.स	**प्रोजेक्ट का नाम**	**न्यूनतम भूमि**	**वित्तीय सहायता**	**कौन आवेदन कर सकता है**
1	छोटी पौधशाला	1 हैक्टेयर	सरकारी क्षेत्र को 6.25 लाख रुपए दिए जाएंगे । निजी क्षेत्रको 3.125 लाख रुपए क्षेत्र को दिए जाएंगे।	सरकारी तथा निजी (प्राइवेट) क्षेत्र दोनों छोटी पौधशाला प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते है ।